

गाडरवारा में गौ सेवकों का महामंथन

सड़कों पर बैठी गौमाता की सुरक्षा पर बनी रणनीति 81 गौशालाओं की निगरानी के लिए बनेगी विशेष टीम

पीपुल्स प्रवक्ता गाडरवारा।

गौमाता की सेवा, सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर रविवार को नगर के गायत्री मंदिर में गौ सेवकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगातार गौ सेवा में जुटे युवा सेवकों का सम्मान भी किया गया।

बैठक में अंश बोहरे, रौनक बोहरे, प्रियांशु पिपरोनिया, पवन पाल, सोरभ ठाकुर और मोन्ू राजपूत को निरंतर और समर्पित गौ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। **सड़कों पर बैठी गौमाता सबसे बड़ी चिंता:** बैठक में सबसे ज्यादा चिंता सड़कों पर विचरण और बैठने वाली लावारिस गौमाताओं को लेकर जताई गई। गौ सेवकों ने एक स्वर में कहा कि सड़कों पर बैठी गौमाता से आए दिन हादसे हो रहे



हैं। उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से गौशालाओं तक पहुंचाने की ठोस व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही जिले की सभी गौशालाओं में भोजन, पानी और देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित हो। **81 गौशालाओं पर रहेगी 8 मंडलों की नजर:** बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया।

जिले में संचालित 81 गौशालाओं को 8 मंडलों में बांटा जाएगा। हर मंडल में 5-5 गोशकों की टीम बनाई जाएगी। ये टीम अपने क्षेत्र की गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करेंगी और खान-पान, पानी, स्वच्छता और रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर प्रशासन और

गौशाला प्रबंधन को अवगत कराएंगी।

मंदिरों की भूमि पर बनेंगे गोधाम: बैठक में तय किया गया कि गाडरवारा और जिला नरसिंहपुर के मंदिरों की भूमि पर मंदिर प्रबंधन और जनभागीदारी से गोधाम, गौशाला और गौ-अभ्यारण्य जैसे प्रकल्प शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे गौ सेवा को मंदिरों से जोड़ा जा सकेगा और मंदिरों में गौमाता के शुद्ध बंधु, दही, घी से बने प्रसाद से भगवान को भोग लगाने की परंपरा भी शुरू होगी। **भोपाल में होगा बड़ा आयोजन:** बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में द्रक्का शारदा पोठाधीश्वर जागन्नाथ स्वामी सदानंद सरस्वती जी के शिष्य एवं गौ सम्मान आह्वान अभियान के जबलपुर सभाग प्रभारी आचार्य मनीष जी महाराज मौजूद रहे।

अमित अग्रवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने अग्रवाल संगठन के दतिया जिलाध्यक्ष

राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व ने किया मनोनयन, बोले- समाज को एकजुट कर सेवा कार्यों को देंगे नई गति

पीपुल्स प्रवक्ता दतिया।

युवा व्यवसायी, समाजसेवी एवं इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी मध्यप्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमित कुमार अग्रवाल को अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, मध्यप्रदेश इकाई का दतिया जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन से अग्रवाल समाज में हर्ष का माहौल है। संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में अमित अग्रवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। लंबे



शुभकामनाएं दें। समाजजनों ने कहा कि उनके नेतृत्व में जिले

समय से सामाजिक सेवा, खेल एवं जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय अमित अग्रवाल के अनुभव को देखते हुए संगठन ने उन पर भरोसा जताया है। मनोनयन की जानकारी मिलते ही जिले के अग्रबंधुओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उन्हें बधाई एवं

में संगठन को नई मजबूती मिलेगी तथा युवाओं और वरिष्ठजनों को जोड़कर सामाजिक एकता एवं सेवा गतिविधियों का विस्तार होगा। ‘संगठन, सेवा और एकता’ को बनाएँ आधार- नवनि्पुक्त जिलाध्यक्ष अमित कुमार अग्रवाल ने राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे सभी अग्रबंधुओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि -संगठन, सेवा और सामाजिक एकता- को आधार बनाकर दतिया जिले में समाजहित के कार्यों को नई गति दी जाएगी और अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा।

नाम परिवर्तन सूचना (प्रकाशन)
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मुकुंश सेन आर्यवर्क, निवासी-गाम अमरवाड, पोस्ट घोघरा, धिरंगोरी, सिंगरोली (म.प्र.) है। मेरी पुत्री के नाम निखिता सेन (NIKITA SEN) पुत्री श्री मुकुंश सेन (SHRI MUKESH SEN) एवं माता श्रीमती इक्लेश बाई (SMT. IKLESH BAI) चला आ रहा है, भुटिविहा उरके आघार बरवाते समय आघार केन्द्र द्वारा उसके आघार कार्ड में कुमनीनिकेशनलेव पुत्री श्री मुकुंश सेन गलत अंकित हो गया है। मेरी पुत्री के आघार कार्ड में भुटिवुधार कर उसके वास्तविक एवं सही नाम किया जावै। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आघार कार्ड, समस्त शैक्षणिक अंकचुयियों, अशैक्षणिक, शासकीय, अर्थप्रशासकीय, आरक्षकीय, समस्त किस्ती/शासकीय कार्यालयों के दस्तावेजों में, समस्त व्यावसायिक व नागरिक दस्तावेजों व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरे सही नाम निखिता सेन (NIKITA SEN) पुत्री श्री मुकुंश सेन (SHRI MUKESH SEN) एवं माता श्रीमती इक्लेश बाई (SMT. IKLESH BAI) अंकित किया जावै एवं इसी नाम से जाना व पहचाना जावै।

पुराना/गुल नम- कुमारीनिकेतनेन पुत्री श्री मुकुंश सेन एवं माता श्रीमति इक्लेश बाई (SMT. IKLESH BAI) नया/सही नाम- निखिता सेन (NIKITA SEN) पुत्री श्री मुकुंश सेन (SHRI MUKESH SEN) एवं माता श्रीमति इक्लेश बाई (SMT. IKLESH BAI)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल
प्रकरण क्रमांक 0001/अ-27/26-27 भोपाल दिनांक 10/04/2026
गाम कानारोया प.ह.न. 37
:: ईस्टहार ::
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री भरत लाल केकरकर आ. सूरज लाल केकरकर निवासी- 14-बी हजुरसिंग बोर्ड कालोनी हरीमंजार के पास करौड़ भोपाल मप्र ने सहिता धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर गाम कानारोया प0ह0न0 37 तहसील हुजूर शिवर खसरा क्रमांक 314/1 में से अंश भाग रकबा 0.0449 है. भूमि जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के स्वत्व स्वाभित्व में दर्ज है। आवेदक द्वारा बटवारा करके का अनुशेष किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ खसरा नक्का, एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज की प्रिी प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय मे विचारधीन है।
उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 27/04/2026 नियत है।
उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/04/2026 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल
प्रकरण क्रमांक 0230/अ-27/25-26 भोपाल दिनांक 27/01/2026
गाम कानारोया प.ह.न. 37
:: ईस्टहार ::
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री फिरोज खान आ. हनीक बक्श निवासी- 14-बी हजुरसिंग बोर्ड कालोनी हरीमंजार के पास करौड़ भोपाल मप्र ने सहिता धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर गाम कानारोया प0ह0न0 37 तहसील हुजूर शिवर खसरा क्रमांक 314/1 में से अंश भाग रकबा 0.0479 हे0 भूमि जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के स्वत्व स्वाभित्व में दर्ज है। आवेदक द्वारा बटवारा करके का अनुशेष किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ खसरा नक्का, एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज की प्रिी प्रस्तुत किये हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय मे विचारधीन है।
उक्त संबंध मे किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 05/03/2026 नियत है।
उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 18/02/2026 को जारी किया गया है।

नायब तहसीलदार तहसील हुजूर, भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल
प्रकरण क्रमांक 0001/अ-27/2026-27
भोपाल दिनांक 10/04/2026
गाम कानारोया प.ह.न. -37
इस्टहार
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री भरत लाल केकरकर आ0 सुख लाल केकरकर निवासी 14- बी नमाल रेसीडीसी अरोया बारापास रोड भोपाल मा000 ने सहिता धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर गाम कानारोया प0ह0न0 37 तहसील हुजूर शिवर खसरा क्रमांक 314/1 में से अंश भाग रकबा 0.0449 हे0 भूमि जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के स्वत्व स्वाभित्व में दर्ज है। आवेदक द्वारा बटवारा करके का अनुशेष किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ खसरा नक्का, एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज की प्रिी प्रस्तुत किये हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय मे विचारधीन है।
उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 27/04/2026 नियत है।
उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/04/2026 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर, भोपाल

आम सूचना नाम परिवर्तन
मैं, दीनू प्रजापति आ. श्री धंरू कुकुडे आयु वरकर, निवासी-गाम रिहरोटी, तह. अमरवाड, जिला छिंदवाडा, म.प्र. है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम भुटिविहा कर्तिक कुकुडे आ. श्री दीनू कुकुडे (KRATIK KUKDE S/O DINU KUKUDE) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम रितिक प्रजापति आ. श्री दीनू प्रजापति (RITIK PRAJAPATI S/O DEENU PRAJAPATI) है जो कि मेरे पुत्र के जन्मप्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपने पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूँ। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम रितिक प्रजापति आ. श्री दीनू प्रजापति (RITIK PRAJAPATI S/O DEENU PRAJAPATI) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।
पुराना नाम-कर्तिक कुकुडे आ. श्री दीनू कुकुडे (KRATIK KUKDE S/O DINU KUKDE) नया नाम-रितिक प्रजापति आ. श्री दीनू प्रजापति (RITIK PRAJAPATI S/O DEENU PRAJAPATI) भवदीय दीनू प्रजापति आ. श्री धंरू कुकुडे निवासी-गाम रिहरोटी, तह. अमरवाड, जिला छिंदवाडा, म.प्र.

आम सूचना नाम परिवर्तन
मैं, अतीक खान आ. श्री हबीब खान आयु वरकर, निवासी-जील मोहल्ला कुयवर, राजगढ़, म.प्र. है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम भुटिविहा फिजा खान पुत्री श्री अतीक खान (PHIZA KHAN D/O ATIK KHAN) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम फिजा खान पुत्री श्री अतीक खान (FIZA KHAN D/O ATEEQ KHAN) है जो कि मेरी पुत्री के जन्मप्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपनी पुत्री के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूँ। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम फिजा खान पुत्री श्री अतीक खान (FIZA KHAN D/O ATEEQ KHAN) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।
पुराना नाम-फिजा खान पुत्री श्री अतीक खान (PHIZA KHAN D/O ATIK KHAN) नया नाम-फिजा खान पुत्री श्री अतीक खान (FIZA KHAN D/O ATEEQ KHAN) भवदीय अतीक खान आ. श्री हबीब खान निवासी-जीन मोहल्ला कुयवर, राजगढ़, म.प्र.

कार्यालय तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल
प्र. क्रमांक वयू / तह.को/रीडर/2026 भोपाल दिनांक 02/09/2026
प्रकरण क्रमांक / अ-6-अ/26-27 गाम-समरथा कलियासोत
:: ईस्टहार ::
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदकगण 1-हेरिद शर्मा आ. श्री प्रकाश चन्द शर्मा 2- अद्विध शर्मा आ. श्री प्रकाश चन्द शर्मा 3- शेता शर्मा आ. श्री प्रकाश चन्द शर्मा 4-रिचोरी शर्मा आ. श्री प्रकाश चन्द शर्मा निवासी भवन क्रमांक 37 रेडोमीट दिरकुड 1-मेसर्स देव बिन्दर्स द्वारा श्री पुरुषोत्तम तोलनली निवासी मालवीय नगर जिला भोपाल 2-प्रेमनारायण आ. श्री रामरत्न 3-कुमनसिंह मैथिल श्री रामरत्न निवासीगण 1316 निवात कोलोनी हजुरसिंग बोर्ड भोपाल आवेदकगण द्वारा गाम समरथा कलियासोत रिस्त भूमि खसरा मांक 380,381, 389, 390,391,446,496/445 भूमि के अभिलेखों में नाम सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिकार्ड दुबुस्ती के आवेदन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को उक्त नामांतरण के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस इस्तेाहर के जारी होने के दिनांक 09.09. 2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। आज दिनांक 02.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील कोलार भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भगवान सिंह, आयु वरकर, निवासी-गाम लहरपुरा, पोस्ट भानपुरा, तहसील जीरापुर, राजगढ़ (म.प्र.) है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में भुटिविहा खान रामपाल पिता भगवान सिंह (RAMPAL S/O BHAG-WAN SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम दिलेप कुमार पिता भगवान सिंह (DILEEP KUMAR S/O BHAG-WAN SINGH) है जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र एवं उसकी स्कूल की अंकसूची में दर्ज है जिसे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को दिलीप कुमार पिता भगवान सिंह (DILEEP KUMAR S/O BHAGWAN SINGH) के नाम से जाना-पहचाना, व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।
पुराना नाम-प्रियंका बैस पिता रामपाल बैस (PRIYANKA BAIS D/o RAMPAL BAIS) नया नाम-दिलीप कुमार पिता भगवान सिंह (DILEEP KUMAR S/O BHAGWAN SINGH)

कार्यालय तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल
प्र. क्रमांक वयू / तह.को/रीडर/2026 भोपाल दिनांक 02/09/2026
प्रकरण क्रमांक / अ-6-अ/26-27 गाम-समरथा कलियासोत
:: ईस्टहार ::
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदकगण 1-हेरिद शर्मा आ. श्री प्रकाश चन्द शर्मा 2- अद्विध शर्मा आ. श्री प्रकाश चन्द शर्मा 3- शेता शर्मा आ. श्री प्रकाश चन्द शर्मा 4-रिचोरी शर्मा आ. श्री प्रकाश चन्द शर्मा निवासी भवन क्रमांक 37 रेडोमीट दिरकुड 1-मेसर्स देव बिन्दर्स द्वारा श्री पुरुषोत्तम तोलनली निवासी मालवीय नगर जिला भोपाल 2-प्रेमनारायण आ. श्री रामरत्न 3-कुमनसिंह मैथिल श्री रामरत्न निवासीगण 1316 निवात कोलोनी हजुरसिंग बोर्ड भोपाल आवेदकगण द्वारा गाम समरथा कलियासोत रिस्त भूमि खसरा मांक 380,381, 389, 390,391,446,496/445 भूमि के अभिलेखों में नाम सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिकार्ड दुबुस्ती के आवेदन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को उक्त नामांतरण के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस इस्तेाहर के जारी होने के दिनांक 09.09.2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। आज दिनांक 02.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील कोलार भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनुजुम खान, आयु वरकर, निवासी-38, बैराढ़ा चौधानी, मंसिराद के पास, कोलार रोड, तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में भुटिविहा नाम मायरा मंजूरी (MAIRA MANSOORI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम सुमैरा खान पिता अनुजुम खान (SUMAIRA KHAN D/O ANJUM KHAN) है जिसे समस्त शासकीय एवं अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में भी लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को सुमैरा खान पिता अनुजुम खान (SUMAIRA KHAN D/O ANJUM KHAN) के नाम से जाना-पहचाना, व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।
पुराना नाम-मायरा मंजूरी (MAIRA MANSOORI) नया नाम-सुमैरा खान पिता अनुजुम खान (SUMAIRA KHAN D/O ANJUM KHAN)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल
प्रकरण क्रमांक 3440/अ-6/26-27 गाम-बगरोया प.ह.न. 46 दिनांक 25/06/2026
:: ईस्टहार ::
सर्वसाधारण विषयान्वर्त लेख है कि आवेदक अनिता देवी पौ फिनेर चौधरी निवासी - बगरोया, भोपाल, म0प्र0 म.प्र.भू.रा. सहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड थि व पत्र दस्तावेज क्रमांक एमपी 43आईजीआर 16962025101099103 दिनांक 02.12.2025 के आधार प र यी कोई भूमि खसरा मांक 8/10/2/2 में से अंश भाग रकबा 55.88 कमीटर भूमि रिस्त गाम बगरोया प0ह0न0 46 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक का स्वीकृत किए जाने का अनुशेष किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विकेता पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय मे विचारधीन है।
उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 10/07/2026 नियत है।
उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25/06/2026 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निरामत तुला, आयु वरकर, निवासी-गाम खेरबडा, पोस्ट डबरवाला, जिला सिंगरोली (म.प्र.) है। मेरे आघार कार्ड में भुटिविहा मेरा नाम मंगली बक्श (MANGALEE BAKAS) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम निरामत तुला पिता हब्बास बक्श (NIYAMAT TULLA S/O HABBAS BAKS) है जो मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है जिसे मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को निरामत तुला पिता हब्बास बक्श (NIYAMAT TULLA S/O HABBAS BAKS) के नाम से जाना-पहचाना, व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।
पुराना नाम-मंगली बक्श (MANGALEE BAKAS) नया नाम-निरामत तुला पिता हब्बास बक्श (NIYAMAT TULLA S/O HABBAS BAKS)

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दीपक के.शहाजी, पिता श्री सुरेश के.शहाजी, निवासी नैपेट नं. 302, शांति पवेल्ले, वास्को मार्ग, चुना मठी, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) एवं सुश्री निशा कर्मा, पिता श्री रामचरण कर्मा, निवासी गाम पाडव्यामाला, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) का विवाह दिनांक 23 अप्रेल 2026 को उत्सव वालिका, चारो, तहसील पारोरे, जिला राजगढ़ (म.प्र.) में संपन्न हुआ है।
उक्त विवाह के पंजीयन हेतु हिन्दू विवाह अभिनयन, 1955 के अंतर्गत विवाह पंजीयन की कार्यवाही प्रचलित है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर अर्थात दिनांक 21 सितम्बर 2026 तक संबोधित कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। विधायित्व अर्थात के पश्चात पास आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
भवदीय SHISH SINGH Advocate Office Add.: Amer Complex, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal मो.नं. 6265328650

नाम परिवर्तन सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चमन सिंह खुशबी पिता शत्रुघ्न सिंह, आयु वरकर, निवासी-सैलवाना, पोस्ट भण्डारा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर, (म.प्र.) है। मेरे आधार कार्ड में भुटिविहा मेरा नाम चमन सिंह खुशबी (CHAMAN SINGH RAGUBANSHI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम चमन सिंह खुशबी पिता शत्रुघ्न सिंह (CHAMAN SINGH RAGUBANSHI S/O SHTRUGHAN SINGH) है जो मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है जिसे मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को चमन सिंह (CHAMAN SINGH RAGUBANSHI S/O SHTRUGHAN SINGH) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।
पुराना नाम-चमन सिंह खुशबी (CHAMAN SINGH RAGUBANSHI) नया नाम-चमन सिंह खुशबी पिता शत्रुघ्न सिंह (CHAMAN SINGH RAGUBANSHI S/O SHTRUGHAN SINGH)

इंदरगढ़ छात्रावास अधीक्षक निलंबित, अनियमितताओं पर कलेक्टर की कार्रवाई

पीपुल्स प्रवक्ता दतिया।

अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास इंदरगढ़ में मिली अनियमितताओं के मामले में कलेक्टर स्वनिल वानखेड़े ने अधीक्षक डॉ. डीआर राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तहसीलदार इंदरगढ़ के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने डॉ. राहुल को पदीय दायित्वों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का दोषी मानते हुए मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग, दतिया रहेगा। छात्रों की व्यवस्थाओं पर दिद् सख्त निर्देश- कलेक्टर ने छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के हित में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निर्धारित मेन्स और मापडंड के अनुसार ताजा, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। भोजन की मात्रा और गुणवत्ता की नियमित जांच भी की जाए।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामपाल बैस, आयु वरकर, निवासी-गाम अमरवाड, पोस्ट घोघरा, धिरंगोरी, सिंगरोली (म.प्र.) है। मेरी पुत्री के 222 222 222 आधार कार्ड में भुटिविहा नाम प्रियंका बैस पिता रामपाल बैस (PRIYANKA BAIS D/O RAMPAL BAIS) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक 222 सही नाम पिंकी बैस पिता रामपाल बैस (PINKI BAIS D/O RAMPAL BAIS) है जो मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है जिसे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे। प्रकाशन उपरांत मेरी पुी को पिंकी बैस पिता रामपाल बैस (PINKI BAIS D/O www RAMPAL BAIS) के नाम से जाना-पहचाना, व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।
पुराना नाम प्रियंका बैस पिता रामपाल बैस (PRIYANKA BAIS D/O RAMPAL BAIS) नया नाम पिंकी बैस पिता रामपाल बैस (PINKI BAIS D/O RAMPAL BAIS)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल
प्रकरण क्रमांक 3684/1-6/2026-27 दिनांक 21/08/2026
गाम छवनी पठार प.ह.न- 39
इस्टहार

सर्वसाधारण विषयान्वर्त लेख है कि आवेदक श्री गिरिजा बाई अहिरवार पतिन गमानादलर नवाजी बाई, सागर मोहन मा0प्र0 ने मा0प्र.भू.रा.सहिता धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विख्या पत्र दस्तावेज क्रमांक MP443IGR16962026100566506 दिनांक 13.05.2026 के आधार पत्र यी कोई गई भूमि स्थित गाम छवनी पठार, प0ह0न0 39 तहसील हुजूर शिवर भूमि का खसरा क्रमांक 60/2 में से अंश भाग रकबा 44.33 वर्गमीटर भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नामा पर किए जाने का अनुशेष किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ खसरा नक्का, एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज की प्रिी प्रस्तुत किये हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय मे विचारधीन है।
उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 07/09/2026 नियत है।
उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 21/08/2026 को जारी किया गया है।

नायब तहसीलदार तहसील हजूर भोपाल

आम सूचना नाम/ परिवर्तन सूचना

मैं, रमन बाई पुति खुलाबसिंह, आयु वरकर, निवासी गाम वडा पारसीया, पोस्ट बरसत आमरथा वडा जिला गुना, ठोडा मर्या प्रदेश की निवासी हूँ। यह आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम भुटिविहा लक्ष्मी (LAKSHMI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक एवं सही नाम लक्ष्मी भिल (LAXMEE BHIL) है, जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है। अतः मैं अपनी पुत्री के आधार कार्ड में अंकित गलत नाम को संशोधित करवाकर उसका सही नाम लक्ष्मी भील (LAXMEE BHIL) दर्ज करवाना चाहती हूँ। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम लक्ष्मी भील (LAXMEE BHIL) के नाम से जाना जाए। तथा उसके समस्त शासकीय अर्थशासकीय दस्तावेजों में उसका सही व वास्तविक नाम लक्ष्मी भील LAXMEE BHIL के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जाए।

पुराना नाम-लक्ष्मी LAKSHMI नया नाम-लक्ष्मी भील LAXMEE BHIL

न्यायालय तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 2705 अ-6/26-27 :::: उद्घोषणा पत्र ::::
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्रीमती गुणपती (खुवसेलवाना 5 स्व. श्री मर्याणा दास खरपेसलवाना व अर्या निवासी मे फल मा0प्र0ह0न0 सहिता 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर फौजी मान्यतरण स्वीकृत / सभी बारिरी से हक के आधार पर दिनांक. प0ह0न0- 240, 242 गाम हजुरपुर रिस्त भूमि खसरा नंबर 162..... 183 185, 186, 187 192 226, 236/320/236 1236, 237, 238, 239/240 के भंश भाग पर पडैट है प्रथम तब पर पडोी भागपडैट डी. याप भूमि का पॉ नामांतरण कर आई जी पत्र नं 14रिजल जल जपत राज मीमांशरी राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुशेष किया है।
2-ऊक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 11/09/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दि